कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

क्रमांकः स्था. / 2014 / 146 दिनांकः– 14.07.2014

विज्ञप्ति

चूरू न्यायक्षेत्र में पारिवारिक न्यायालय हेतु सृजित 07 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदो पर राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम,2008 के अन्तर्गत पीबी–I 5200–20200 + ग्रेड पे 1700 / – रूपये प्रतिमाह में राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–11(7) / एफ.डी.(नियम) / 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 के तहत परीविक्षा अवधि दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400 / – रूपये प्रतिमाह पर बतौर प्रोबेशन ट्रेनी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 के प्रावधानो के तहत भर्ती / नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारो से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तो एवं निर्धारित नियमो के अनुसार आमंत्रित किये जाते है। आठ सूत्रीय रोस्टर के अनुसार उक्त रिक्त 07 (सात) पदों में से एक पद अनुसूचित जाति, एक पद अनुसूचित जन जाति, एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा चार पद अनारक्षित सामान्य संवर्ग के हैं। उपरोक्त रिक्तियों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है। इन पदों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तर्जिला स्थानान्तरण द्वारा भी भरा जा सकता है। इन रिक्त पदो पर भर्ती में महिला व अन्य आरक्षण नियमानुसार देय होगा। उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रोबेशन ट्रेनी) के पद हेतु आवेदन करने वालो के लिए निम्न लिखित आवश्यक योग्यता तथा शर्ते लागू होगीः–

01. राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 के नियम 11 के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो ।

02. आयु : आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी,भूतपूर्व सैनिक,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,महिलाएं,विधवा व तलाकशुदा महिलाओ एवं अन्य आरक्षित वर्ग को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

03. शैक्षणिक योग्यता : उक्त पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पांचवी कक्षा उतीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी पढने व लिखने का व्यावहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है।

04. चरित्र : (1) – आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। आवेदक अपने चरित्र के संबंध में दो उत्तरदायी व्यक्तियों के (जो उसके रिश्तेदार न हो) के दो चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा एवं उक्त चरित्र प्रमाण पत्र आवेदक के आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छः मास पूर्व के न हो ।

(2) – प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि आवेदक के विरूद्ध कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लंबित है तो आवेदक को उक्त मामले का विवरण शपथ पत्र में अंकित करना होगा। आवेदक उक्त शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा।

05. शारीरिक योग्यता : आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिए, जो उसके इस पद के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और आवेदक का इस पद के लिए चयन होने पर उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

06. सन्तान संबंधी सूचना : शासन सचिव राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांकः 10 (3) / कार्मिक / क–2 / 75 / पार्ट–II दिनांक 29.10.2004 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन संख्या जनरल / 19 / मि. / 1245 / 2004 / 1816 दिनांक 30.11.04 के अनुसार ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, राज्य सेवा में इस

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चूरू (राज०)

पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान नहीं होने का घोषणा का संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

07. विवाह पंजीयन : राज्य सरकार के परिपत्र संख्याः प.7(3)/कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख किया जावेगा व आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः अंकित की जावेगी तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति या आवेदक का विवाह पंजीयन नहीं होने की स्थिति में उसे आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप–6 में 10/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

08. पेंशन योजना : राज्य सरकार के आदेश क्रमांक – एफ.15(7)एफ.डी.(रूल्स)97 दिनांक 14.1.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(एफ.डी.)(रूल्स) दिनांक 13.3.2006 एवं दिनांक 12.9.2008 के अंतर्गत नियुक्ति योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना,मेडिकल अटेंडेंट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण संबंधी सभी नए नियम लागू होंगें।

09. आवेदन पत्र : आवेदक को इस विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या–12 में बताये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रो की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि संलग्न करने होगें। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर उस पर हस्ताक्षर करने होगें। इसके अलावा आवेदन पत्र पर आवेदक को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होगें।

10. आवेदन पत्र की अंतिम तिथि : आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2014 को सायं 05.00 बजे तक इस कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाने चाहिए। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस विज्ञप्ति से पूर्व में प्राप्त एवं विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हे निरस्त कर दिया जावेगा। इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन पत्रो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हे निरस्त कर दिया जावेगा।

11. साक्षात्कार : आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक प्राप्त जिन आवेदको के आवेदन पत्र बाद जांच सही पाये जावेगे उन आवेदको के साक्षात्कार हेतु सूची दिनांक 18.08.2014 को 10.30 ए.एम. पर जिला न्यायालय, चूरू के नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं जिला न्यायालय, चूरू की वेब साईट http://ecourts.gov.in/churu पर अपलोड कर दी जायेगी तथा इन आवेदको के साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को 10.00 ए.एम. एवं यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 14.09.2014 को 10.00 ए.एम. पर भी संभवतः जिला न्यायालय, चूरू में लिया जावेगा, साक्षात्कार का स्थान परिवर्तन संभावित है परिवर्तन होने पर इसकी सूचना इस न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं वेब साईट पर अपलोड कर दी जायेगी। साक्षात्कार एवं स्थान परिवर्तन की सूचना पृथक से किसी भी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी तथा न ही इस साक्षात्कार हेतु किसी आवेदक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय होगा। उपरोक्त साक्षात्कार तिथि में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में साक्षात्कार के एक दिन पहले इसकी सूचना इस न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं वेब साईट पर अपलोड कर दी जायेगी और इसकी जानकारी करने की जिम्मेवारी आवेदक स्वयं की होगी व इस बाबत आवेदक को पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

12. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रो की प्रतिलिपियां व शपथ पत्र संलग्न किये जावेगें :

10. जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि,
11. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि,
12. आरक्षण चाहने/आयु सीमा में छूट चाहने वाले अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा संवर्ग के आवेदक को जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि। अन्य पिछड़ी जाति का प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर का होना चाहिए।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
चूरू (राज०)

13. विधवा महिला के पति की मृत्यु बाबत सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र व तलाकशुदा महिला के विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय से पारित विवाह विच्छेद की डिकी अथवा प्रमाण पत्र
14. छः माह के अवधि के अन्दर के दो उत्तरदायी व्यक्तियों (जो आवेदक के रिश्तेदार न हो) के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र,
15. दोषसिद्धि नहीं होने आदि के बारे में शपथ पत्र
16. विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान नहीं होने बाबत आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र
17. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा आवेदन पत्र के संलग्न प्रारुप–6 में शपथ पत्र,
18. आवेदक के जिला नियोजन पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि हो) की सत्य प्रतिलिपि

नोटः उपरोक्त सभी प्रलेख तथा प्रमाण पत्र आदि की सूची आवेदक को अपने स्वयं के हाथ से आवेदन पत्र के पिछे कमवार लिखनी होगी व इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होगें।

13. अन्य :

1. आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ जिन प्रमाण पत्रो की सत्यापित प्रतियां पेश की है,उन सभी के मूल प्रमाण पत्रों को आवेदक साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवेगा।
2. आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
3. कोई भी पुरूष या महिला आवेदक जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है,सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
4. ऐसा विवाहित आवेदक जिसने विवाह में दहेज स्वीकार किया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
5. ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेखो,सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी घोषित किया गया है, वो इस पद की नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
6. उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थाई है एवं इन पदो की रिक्तियो को घटाया–बढाया जा सकता है।

8/ec2 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरू

कमांक : स्था०/ 3610-3665 दिनांक 14.07.2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश...
4. जिला कलक्टर, चूरू
5. जिला नियोजन अधिकारी, चूरू
6. चूरू न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयो के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु संबंधित न्यायालय..............
....
7. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, चूरू
8. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा
9. अखबार में साया हेतु।

8/ec2 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरू

प्रपत्र–6

<u>शपथ पत्र</u>

(दस रूपये के नॉन–ज्युडिशियल स्टाम्प पर)

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती.. उम्र..............जाति....................निवासी............................तहसील..................जिला................ शपथपूर्वक बयान करता हूं / करती हूं :–

मेरा विवाह श्रीमती / श्री...निवासी...के साथ संपन्न हुआ था परंतु उक्त विवाह अनिवार्य विवाह पंजीकरण लागू होने से पूर्व दिनांक...............................को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती / श्री..निवासी..............................के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण पंजीकत नहीं हुआ हैं

या

मैं..अविवाहित हूं।

या

मैं ....विधुर / तलाकशुदा / विधवा हूं (पत्नी / पति) श्री / श्रीमती..थी / था एवं जिसका देहान्त दिनांक.. ....को हो गया।

स्थान :

दिनांक : शपथ ग्रहिता

( )

<u>सत्यापन</u>

मैं,...उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

स्थान :

दिनांक : शपथ ग्रहिता

( )

कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रारूप
(विज्ञप्ति कमांक.....................................)

आवेदक का नवीनतम फोटो मय हस्ताक्षर

(1) नाम आवेदक :

(2) पिता का नाम :

(3) जाति :

(4) आरक्षित वर्ग का नाम :

(5) स्थाई पता :

(6) वर्तमान पता :

(7) निकटतम पुलिस स्टेशन :

(8) जन्म तिथि(अंको में) :
(शब्दो में) :

(9) दिनांक 01.01.2015 को आयु : वर्ष ...... माह .... दिन ....

(10) शैक्षणिक योग्यता :

(11) वर्तमान नियुक्ति,यदि कोई हो,पद,सेवा की अवधि एवं पदनाम :

(12) अग्रेषण अधिकारी का नाम पदनाम,यदि अभ्यर्थी पूर्व में सेवारत है। ,:

(13) राष्ट्रीयता :

(14) नियोजन कार्यालय का पंजीयन कमांक व इसकी वैधता तिथि (यदि हो)

(15) दूरभाष/मोबाईल नंबर :

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

सन्तान के संबंध में घोषणा का शपथ पत्र

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

उम्र..............वर्ष जाति...................निवासी......................तहसील..................जिला................

शपथपूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

उम्र..............वर्ष जाति...................निवासी......................तहसील..................जिला................

शपथपूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं अभी अविवाहित हूं।

स्थान :
दिनांक : शपथ ग्रहिता

( )

सत्यापन

मैं,..उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करें।

स्थान :
दिनांक : शपथ ग्रहिता

( )